

राज्यपाल सचिवालय,
राजभवन, जयपुर

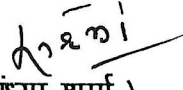
क्रमांक: प.17(0)राभ/587/पार्ट/ 1986

दिनांक: 12 अप्रैल, 2023

सीमित बोली सूचना

राजभवन जयपुर में गायों के लिए आवश्यकतानुसार 05 से 10 मन ज्वार कुट्टी प्रति सप्ताह/पखवाडा सप्लाई कार्य के लिए दरें आमंत्रित की जाती हैं जो दिनांक 19.04.2023 दोपहर 02.00 बजे तक आवश्यक दस्तावेजों के साथ बंद लिफाफे में कन्ट्रोलर, राज्यपाल हाउस होल्ड के नाम प्रस्तुत की जा सकती है। प्राप्त बोली दिनांक 19.04.2023 को अपराह्न 3.00 बजे उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष राजभवन कार्यालय में खोली जावेगी। कार्य की लागत रुपये 1,99,000/- समस्त करों सहित होगी।

इच्छुक फर्में दिनांक 12.04.2023 अपराह्न से बोली प्रपत्र कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं अथवा राजभवन की साईट www.rajbhawan.rajasthan.gov.in एवं <http://sppp.raj.nic.in> से डाउनलोड भी कर सकते हैं।


(संध्या शर्मा)

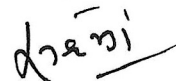
वित्तीय सलाहकार

क्रमांक: प.17(0)राभ/587/पार्ट/ 1987

दिनांक: 12 अप्रैल, 2023

प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. प्रभारी अधिकारी (IT) राजभवन, जयपुर, को www.rajbhawan.rajasthan.gov.in एवं <http://sppp.raj.nic.in> पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
2. नोटिस बोर्ड, कार्यालय
3. रक्षित पत्रावली


(संध्या शर्मा)

वित्तीय सलाहकार

राज्यपाल सचिवालय
राजभवन, जयपुर

प्रभुवर सचिव,
राज्यपाल, राजस्थान
राजभवन, जयपुर।

विषय:-राजभवन, जयपुर में गायों के लिए ज्वार कुट्टी कार्य हेतु के वार्षिक दर संविदा
बाबत।

1. बोलीदाता/संवदेक का नाम
2. डाक का पता
3. फोन/मोबाईल नं०
4. ई-मेल
5. बैंक का नाम
- IFSC Code
- खाता संख्या
6. बोली दाता द्वारा प्रस्तुत दरें:-

क्र.सं.	कार्य का विवरण	बोली दाता द्वारा प्रस्तुत दर रुपये प्रति मन (40KG)	जीएस.टी./कर की दर प्रतिशत में यदि लागु हो तो
1.	राजभवन जयपुर में गायों के लिए ज्वार कुट्टी सप्लाई बाबत।		

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम मय सील

वरिष्ठ लेखाधिकारी

कन्ट्रोलर

सहायक सचिव

राज्यपाल सचिवालय

राजभवन, जयपुर

बोली की सामान्य शर्तें

1. राजस्थान लोक उपापन में पादर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013, जिसे आगे "अधिनियम" व "नियम" कहा गया है तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस संबंध में वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईडलाईन आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेंगे। बोलीदाता को "अधिनियम" एवं "नियम" की पूर्ण जानकारी कर लेनी चाहिए। बोली दस्तावेज तथा उपर्युक्त "अधिनियम" एवं "नियम" में किसी प्रकार की विसंगति होने पर उक्त "अधिनियम" एवं "नियम" के प्रावधान ही प्रभावी होंगे।
2. ज्वार कुट्टी की मात्रा में कमी/वृद्धि की जा सकती है। किसी न्यूनतम संख्या/मात्रा की गारंटी नहीं दी जायेगी एवं उपाप्त संख्या/मात्रा में कमी या उपाप्त नहीं करने की स्थिति में बोलीदाता किसी भी दावे या प्रतिकार का हकदार नहीं होगा। कार्य की संख्या/मात्रा वृद्धि होने पर अनुबंधित संवेदक/बोलीदाता द्वारा बोली की शर्त, निबंधन एवं दर आदेशित समय एवं स्थान पर उपलब्ध करानी होगी।
3. अनुबंधित बोलीदाता/संवेदक द्वारा दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर ज्वार कुट्टी की कीमत कोटकर्ता करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन ज्वार कुट्टी कार्य की कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी।
4. बोली की विधि मान्यता बोली खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए होगी।
5. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौपेगा या भाड़े (Sub-let) पर नहीं देगा।
6. ज्वार कुट्टी सूखी, खक रहित तथा कीट रहित एवं उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिये तथा मांग के अनुसार राजभवन गौ-शाला को अधिकतम दो दिवस में आपूर्ति करनी होगी।
7. संवेदक द्वारा कार्य राजभवन द्वारा इस हेतु अधिकृत अधिकारी के निर्देशन में करना होगा।
8. अनुमोदित संवेदक अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्य सम्पादित करने में असफल रहा तो अनुबंध तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा।
9. विभाग को यह अधिकार होगा कि वह न्यूनतम दर वाले प्रस्ताव के अतिरिक्त अन्य किसी प्रस्ताव को स्वीकार्य कर सकता है तथा किसी भी बोली को बिला किसी कारण बताए निरस्त कर सकता है।
10. संविदा संबंधी समस्त पत्राचार कन्ट्रोलर, राज्यपाल हाउस होल्ड जयपुर, के नाम करना होगा। संविदा के संबंध में किसी भी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही जयपुर में ही मान्य होगी।
11. मूल्यांकन की कसौटी: बोली में सफल बोलीदाता/संवेदक की न्यूनतम कीमत के आधार पर बोली का मूल्यांकन किया जावेगा।
12. अनुमोदित की गई दर संविदा की कालावधि अनुबंध दिनांक से एक वर्ष की होगी।
13. बोलीदाता लिफाफे पर **"ज्वार कुट्टी आपूर्ति कार्य हेतु सीमित बोली"** अवश्य अंकित करेगा।
14. बोलीदाता को अपने कार्यालय/निवास के दूरभाष नम्बर निविदा में देने होंगे, ताकि आवश्यक परिस्थितियों में दूरभाष पर सम्पर्क किया जा सके।
15. बोली दरों में कांट-छांट नहीं की जावें।
16. बोली दरें पैन से भरी होनी चाहिये, पैसिल से भरी गयी निविदा को रद्द कर दिया जावेगा। बोली दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर बोलीदाता के हस्ताक्षर किये जावें।
17. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अनुसरण में <http://sppp.rajasthan.gov.in> (स्टेट पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल) एवं राजभवन की साईड www.rajbhawan.rajasthan.gov.in पर भी निविदा सम्बन्धी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
18. बोलीदाता की अलग से कोई शर्तें मान्य नहीं होगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम मय सील

वरिष्ठ लेखाधिकारी

कन्ट्रोलर

सहायक सचिव